बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम् सत्र (जुलाई-अगस्त १९६५) के शेष ८७० तारांकित प्रश्नों में से ९१ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध आवेदन-पत्र।

१। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध में आवेदन-पत्र श्री लक्ष्मीनारायण ने तारीख १३ अक्तूबर १९६४ को मुख्य मंत्री, कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल और जिलाधिकारी, दरभंगा के पास भेजा था; यदि हां, तो सरकार ने इस पर कौन-सी कार्रवाई अबतक की है; यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नवल किशोर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध श्री लक्ष्मीनारायण के दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ को आवेदन-पत्र पर जिला दंडाधिकारी, दरभंगा से एक प्रतिवेदन आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल द्वारा मांगी गयी है। अभी प्रतिवेदन नहीं आया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

*श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—कब रिपोर्ट मांगी गयी थी?

श्री नवल किशोर सिंह—मार्च, १९६५ में।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—प्रश्न पूछने के बाद या पहले?

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न पूछने के पहले, लेकिन उत्तर आने में विलम्ब जरूर हुआ है।

छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था ।

१४४२ । श्री घनश्याम सिंह—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री नौरंगी राम, हरिजन (मेहतर) के०के०एम० कालेज, जमुई (मुंगेर) में बी०ए० पार्ट-१ का छात्र १९६३–६४ ई० में था;

(२) क्या यह बात सही है कि उसने हरिजन छात्रवृत्ति हेतु दरखास्त दी थी, किन्तु उन्हें १९६३–६४ की छात्रवृत्ति के रुपये नहीं मिले हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि यह छात्र अभी देवघर कालेज में फाइनल इयर का छात्र है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त लड़के को उस वर्ष की छात्रवृत्ति के रुपये दिलाने हेतु सरकार कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री दुमर लाल बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) श्री नौरंगी राम का १९६३–६४ का छात्रवृत्ति का आवेदन-पत्र अपूर्ण रहने के कारण कल्याण विभाग के पत्र सं० १३३६१, दिनांक ११ दिसम्बर १९६३ के द्वारा प्राचार्य को संशोधित करा कर भेजने के लिये लौटा दिया गया था । इसके बारे में पुनः पत्र सं० १००८५, दिनांक २४ सितम्बर १९६४ के द्वारा स्मार भी दिया गया । लेकिन उनका आवेदन-पत्र पूर्णरूपेण भर कर फिर से नहीं लौटाया गया, इसलिये उन्हें १९६३–६४ सत्र में छात्रवृत्ति की स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) सन् १९६३–६४ सत्र में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रपत्र में छात्र का आवेदन-पत्र भर कर प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होते ही उन्हें उक्त सत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा । इसके बारे में प्राचार्य से पत्राचार किया जा रहा है ।

ईख की कीमत की चुकती ।

१५३४ । श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत एकमा थाना में ईख-उत्पादक-सहयोग-समितियां यूनियन के द्वारा किसानों से ईख खरीद कर मिल को देता है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त यूनियन अब तक किसानों का बीस हजार रुपया बकाया रखे हुए है, यदि हां, तो सरकार किसानों को रुपया दिलाने के संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत एकमा (थाना) के ईखोत्पादक सहयोग समितियों ने यूनियन के द्वारा १९६२-६३ सीजन तक ईखापूर्त्ति की है।

(२) किसानों का ईख-मूल्य के रूप में यूनियन के जिम्मे करीब ९ हजार रुपया पावना है। यूनियन का भी किसानों के जिम्मे खाद और बीज-कर्ज का २१ हजार रुपया बकाया है। अतः यूनियन का किसानों के जिम्मे करीब-करीब १२ हजार रुपया अधिक पावना है। यह रकम किसानों से कानूनी कार्रवाई के द्वारा वसूल की जा रही है और उक्त रकम से किसानों का बकाया ईख-मूल्य वितरण किया जा रहा है।

रुपये का गबन।

१५३५। श्री विद्याकिशोर विद्यालंकार—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री हरिहर प्रसाद, सन् १९६३-६४ ई० में हरनौत एग्रीकोल डिपो, पटना के इन्चार्ज थे;

(२) क्या यह बात सही है कि इन्होंने एग्रिकोल डिपो का २९,७०० रु० गबन किया;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने उनके ऊपर रुपए वापिस लेने के लिए कौन-सी कार्रवाई की है?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) श्री हरिहर प्रसाद १९५५ से ७ अप्रील १९६२ तक हरनौत एग्रि कोल डिपो के इन्चार्ज थे।

(२) इन्होंने डिपो के २५,९४९ रु० ८० पं० गबन किए।

(३) इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा दायर किया गया था जिसका फैसला पिछले जून में हुआ है। फैसला के अनुसार इन्हें तीन साल की कैद और ५,००० रु० जुर्माना हुआ है। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर रुपये की वसूली के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के अन्तर्गत मामला दायर किया गया था जिसमें यूनियन के पक्ष में ७ अगस्त १९६५ को २५,९४९ रु० ८० पं० मूल और ३,७१६ रु० ७९ पं० सूद की वसूली की डिग्री मिली है।

माराफरी बोकारो स्टील प्लान्ट के निर्माणार्थ भू-अर्जन।

१५४५। श्री रामेश्वर मांझी—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत माराफारी बोकारो स्टील प्लान्ट निर्माण के लिये कब-कब और कौन-कौन तिथि को जमीन के लिये नोटीफिकेशन